

राजस्थान सरकार  
इन्दिरा गांधी नहर मण्डल

क्रमांक : प.11(8)इगांनम/2012-1

जयपुर, दिनांक : 10 FEB 2020

कार्यालयादेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रालयिक सेवा के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित कर्मचारियों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	जन्म तिथि	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1	श्री पूरणमल रैगर	13.02.1971	अनुसूचित जाति	01.04.2019
2	श्री कृष्णकान्त टिक्कीवाल (सेवानिवृत्त)	15.07.1959	सामान्य	01.04.2019
3	श्री रमेश चन्द्र मीना	06.07.1961	अनुसूचित जन जाति	01.10.2019

उक्त कर्मचारी तुरन्त प्रभाव से अपने पदोन्नति पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करें। पदोन्नत पद पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किये पर इसे कार्मिक की ओर से पदोन्नति का परित्याग (फोरगो) माना जावेगा।

*(Handwritten Signature)*

( देशराज मीना )

सचिव,

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल,  
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
2. अति० निजी सचिव, सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. लेखा शाखा, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. सम्बन्धित कर्मचारी।
6. निजी पंजिका सम्बन्धित कर्मचारी।

*(Handwritten Signature)*

सचिव,

इन्दिरा गांधी नहर मण्डल,  
जयपुर।

154759  
10 FEB 2020

Mahabadi  
6/3/20